विभाग का नाम :– ऊर्जा विभाग

विभाग का पता :– आठवां तल, बी विंग, दिल्ली सचिवालय

अतारांकित प्रश्न संख्या–13

दिनाँक :– 06.06.2018

प्रश्नकर्ता श्री जगदीश प्रधान

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

	प्रश्न	उत्तर
क)	बिजली कम्पनियां सेवा निवृत कर्मचारियों को पेन्शन देने के नाम पर अब तक कितनी राशि वसूल चुकी है;	वर्ष 2017–18 के दौरान पेंशन ट्रस्ट द्वारा बिजली कंपनियों से कुल 859.48 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।
ख)	इस राशि में से अब तक कितनी राशि वास्तव में पेन्शन धारकों को दी जा चुकी है;	वर्ष 2017–18 में पेशंन ट्रस्ट द्वारा पेशंन धारकों को 793.50 करोड़ रूपये दिये गए है।
ग)	क्या वर्तमान 3.7 प्रतिशत पेन्शन सरचार्ज की समय–समय पर समीक्षा करने का प्रावधान है;और	जी हॉ।
घ)	यदि यह राशि कम या ज्यादा होती है तो उसको लेकर क्या नियम उपलब्ध हैं?	पेंशन ट्रस्ट अपनी आवश्यकता को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) को प्रस्तुत करता है और दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग पेंशन ट्रस्ट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बिजली कंपनियों के टैरिफ आदेश में उचित प्रतिशत के रूप में सरचार्ज़ का प्रावधान करता है। वर्ष के अंत में पेंशन ट्रस्ट अपने वास्तविक व्यय को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग को प्रस्तुत करता है और पहले संकेतित आवश्यकता में और वास्तविक व्यय के अंतर को अगले वर्ष के टैरिफ आदेश में समायोजित किया जाता है।

(वर्षा जोशी)
सचिव (ऊर्जा)

Varsha Joshi
Secretary (Power)